संख्या-60/2019/3357जेएल/22-3-19-800(34)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-**3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2019***

विषय- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी-म0नं0-एस-19/20, वरूणा पुल, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-641/जि0प्रो0का0/बंदी-पैरोल/2019-20, दिनांक 02-07-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी-म0नं0-एस-19/20, वरूणा पुल, थाना-कैण्ट, जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-37/2019/597जेएल/22-3-19-800(34)/2017, दिनांक 29-05-2019 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-60/2019/3357जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in